



जोधपुर नगर निगम, दक्षिण

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव यथ, जोधपुर



क्रमांक-17178

दिनांक-13/12/21
(B.T.(B) 72 / 2020-21

श्री सुन्दरलाल सोनी पुत्र श्री मुरलीराम सोनी
मुखण्ड सं. 3-ए व बी/2, पुलिस लाईन के सामने
रस्तानाडा, जोधपुर।

::- भवन निर्माण आदेश :-

विषय :- आवासीय भवन निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृति हेतु।
प्रसंग :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 10.04.2017।

उपरोक्त विषयान्वरित एवं प्रसांगिक गठित भवन निर्माण अनुज्ञा समिति की बैठक दिनांक 12.10.2020 के प्रस्ताव संख्या 04 के अन्तर्गत अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

स्वीकृति का प्रकार	आवासीय निर्माण
अनुमत निर्माण	जी+2
कुल क्षेत्रफल	382.08 वर्गगज

- 1 बालकॉनी व छज्जे का निर्माण नहीं करेगे।
- 2 पडोसी की बिल्डिंग लाईन को यथावत रखेगे।
- 3 मानचित्र एवं पट्टे में यदि चबुतरा दर्शायी गई है तो उसे खुली रखेगे।
- 4 खालसा भूमि पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेगे।
- 5 स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य होगी।
- 6 वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
- 7 मरिच्य में बकाया राशि निकलने पर जमा करवाने को बाध्य रहेगे।
- 8 भवन में नियमानुसार अग्नि शान्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी।
- 9 दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृती शून्य मानी जायेगी।
- 10 भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।
- 11 निर्माण स्थल पर 4'X4' के बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण सावधानी पूर्वक करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
- 12 भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा बिल्डिंग मटेरियल सड़क पर नहीं डाला जावेगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/बिल्डिंग मटेरियल मू-रसाही द्वारा सड़क पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।
- 13 भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व साईट पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की संख्या प्रति 10 अंशिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में लम्बे मजदूर उसका प्रयोग कर सकें। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।
- 14 यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में निर्णित राद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयाधीन रहेगा तथा वर्तमान-भविष्य में मास्टर प्लान के अनुरूप नियमों/उपनियमों को मानने के लिये सदैव बाध्य रहेगे।
- 15 भूखण्ड के अग्र भाग में 21' कवर्ड पार्किंग के बाद 15' ऑपन पार्किंग, पार्श्व प्रथम में 9' व पीछे की तरफ 11' ऑपन पार्किंग दर्शायी है।
यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

आवेदन शुल्क- 100/- जांच शुल्क- 3,196/- मवन निर्माण शुल्क- 3,500/- मलबा शुल्क - 1,000/- बी.एस.यू.पी. शुल्क- 5,310/- विकास एवं संधारण शुल्क- 15,283/- भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क- 7,965/- उपकर- 48,226/- कुल राशि- 84,580/- जरिये रसीद संख्या 90689/5276 दिनांक 16.12.2020, सुरक्षा एवं अमानत शुल्क- 3,000/- जरिये रसीद संख्या 90689/5278 दिनांक 16.12.2020, वर्षाजल संग्रहण व अग्निशमन सूक्ष्म रोध शुल्क- 50,000/- जरिये रसीद संख्या 90689/5277 दिनांक 16.12.2020, डूडी कर- 58,644/- जरिये रसीद संख्या 90689/5280 दिनांक 16.12.2020 एवं गृह कर- 3,002/- जरिये रसीद संख्या 90689/5279 दिनांक 16.12.2020 को निगम कोष में जमा करा लिये गये हैं, साथ ही आपको आदेशित किया जाता है कि दी गई स्वीकृति के विपरित निर्माण कार्य करने पर आपके बिलूद राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/236/245 के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी। भवन निर्माण के पश्चात् मलबा सड़क पर पाया गया तो भवन का रूप में 10,000/- (अक्षर वत्स हजार रुपये) इसूल किये जायेंगे।

(Signature)
11.1.2024

उपायुक्त
नगर निगम जोधपुर, रशिन